रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 248] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 24, 2015/आश्विन 2, 1937
No. 248] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 24, 2015/ASVINA 2, 1937

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जॉच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2015

(न्यू शिपर समीक्षा)

विषय : पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई के मूल के अथवा वहां से निर्यातित क्लियर फ्लोट ग्लास के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के अंतर्गत मै. तारिक ग्लास इंडस्ट्रीज लि., पाकिस्तान (निर्यातक) के अनुरोध पर की गई की न्यू शिपर समीक्षा की शुरुआत ।

फा. सं. 15/16/2015-डीजीएडी.—मै. तारिक ग्लास इंडस्ट्रीज लि., पाकिस्तान ('आवेदक निर्यातक') ने यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे 'पाटनरोधी नियमावली' भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 4 मिमी. से 12 मिमी. (दोनों को शामिल करते हुए) को मामूली मोटाई, जिसे बीआईएस 14900:2000 के अनुसार मामूली मोटाई माना जाता है, के क्लियर फ्लोट ग्लास (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) कहा गया है) के निर्यातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने का अनुरोध किया गया है।

2. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 10 अक्टूबर, 2014 की अंतिम जाँच परिणाम अधिसूचना सं. 14/25/2012-डीजीएडी के द्वारा पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई के सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए संबद्ध वस्तु पर उक्त जाँच परिणामों में विहित दरों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी।

3. केन्द्र सरकार ने सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 70 के अंतर्गत आने वाली संबद्ध वस्तु पर दिनांक 11 दिसम्बर, 2014 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 48/2014-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क को अधिसूचित किया है।

विचाराधीन उत्पाद

4. वर्तमान जाँच 4 मिमी. से 12 मिमी. (दोनों को शामिल करते हुए) की मामूली मोटाई, जिसे बीआईएस 14900:2000 के अनुसार मामूली मोटाई माना जाता है, के क्लियर फ्लोट ग्लास के निर्यातों से संबंधित है। 8-अंकीय स्तर पर वर्गीकरण 70051090 है यद्यपि उसे 7003, 7004, 7005, 7009, 7013, 7015, 7016, 7018, 7019 और 7020 जैसे विभिन्न उप-शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत और आयातित किया जा रहा है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी तरह से प्रस्तावित जांच और प्रस्तावित उपायों के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

शामिल निर्यातक

5. मै. तारिक ग्लास इंडस्ट्रीज लि., पाकिस्तान।

नए निर्यातक के संबंध में न्यू शिपर समीक्षा की शुरुआत

6. सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में प्राधिकारी के लिए जाँच के अधीन निर्यातक देश में किसी ऐसे निर्यातक या उत्पादक के लिए अलग से पाटन मार्जिन निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ समीक्षा करना अपेक्षित है जिसने 4 मिमी. से 12 मिमी. (दोनों को शामिल करते हुए) की मामूली मोटाई, जिसे बीआईएस 14900:2000 के अनुसार मामूली मोटाई माना जाता है, के क्लियर फ्लोट ग्लास के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जाँच के पूर्ववर्ती मामले की जाँच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात नहीं किया है और वह निर्यातक देश में ऐसे किसी निर्यातक और उत्पादक से संबंधित नहीं है जो पाटनरोधी शुल्क के अधीन हैं।

7. प्राधिकारी प्रथमदृष्टया इस बात से संतुष्ट होते हुए कि आवेदक निर्यातक पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के अंतर्गत यथाविहित शर्तों को पूरा करता है, 10 अक्टूबर, 2014 की अंतिम जाँच परिणाम अधिसूचना सं. 14/25/2012-डीजीएडी में प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिश के अनुसरण में और दिनांक 11 दिसम्बर, 2014 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 48/2014-सीमाशुल्क (एडीडी) को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा लागू किए गए पाटनरोधी शुल्क की मै. तारिक ग्लास इंडस्ट्रीज लि., पाकिस्तान के अनुरोध के अनुसार समीक्षा करने का निर्णय लेते हैं।

8. 4 मिमी. से 12 मिमी. (दोनों को शामिल करते हुए) की मामूली मोटाई, जिसे बीआईएस 14900:2000 के अनुसार मामूली मोटाई माना जाता है, के क्लियर फ्लोट ग्लास के आयातों से संबंधित 10 अक्टूबर, 2014 की अंतिम जाँच परिणाम अधिसूचना सं. 14/25/2012-डीजीएडी की न्यू शिपर समीक्षा की शुरुआत करने का निर्णय लेने के बाद प्राधिकारी एतद्वारा संबंधित नियमावली के अनुसार 4 मिमी. से 12 मिमी. (दोनों को शामिल करते हुए) की मामूली मोटाई के क्लियर फ्लोट ग्लास के संबंध में पृथक पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए न्यू शिपर समीक्षा जाँच की शुरुआत करते है।

9. प्राधिकारी संबंधित नियमावली के नियम 22 के अनुसार और दिनांक 11 दिसम्बर, 2014 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 48/2014-सीमाशुल्क (एडीडी) को ध्यान में रखते हुए इस समीक्षा के पूरा होने तक मै. तारिक ग्लास इंडस्ट्रीज लि., पाकिस्तान द्वारा भारत को संबद्ध वस्तु के किए गए 4 मिमी. से 12 मिमी. (दोनों को शामिल करते हुए) की मामूली मोटाई, जिसे बीआईएस 14900:2000 के अनुसार मामूली मोटाई माना जाता है, के क्लियर फ्लोट ग्लास के सभी निर्यातों के संबंध में अनंतिम आकलन की सिफारिश करते हैं।

जांच अवधि

10. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच अवधि 1 जुलाई, 2015 से 31मार्च, 2016 तक की है।

<u>सूचना प्रस्तुत करना</u>

11. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के जरिए उनकी सरकारों, संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को अलग-अलग सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत कर सकें। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से जाँच से संगत अनुरोध कर सकता है। सूचना/अनुरोध निम्नलिखित को प्रस्तुत किए जाए:

निर्दिष्ट प्राधिकारी
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

12. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षकारों के लिए उसका अगोपनीय अंश उपलब्ध कराना होगा।

समय-सीमा

13. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच अवधि पूरा होने पर प्राधिकारी के पास चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

14. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए उसके किसी भाग के संबंध में "गोपनीयता" का दावा करने के मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा:—

(क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और

(ख) अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि)।

15. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। दोनों पाठों की हार्ड कॉपियों के साथ साफ्ट कॉपियां पाँच (5) सैट में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

16. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

17. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों सभव नहीं है।

18. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते है। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

19. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

20. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

21. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

22. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

ए. के. भल्ला, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2015

(New Shipper Review)

Subject:–Initiation of New Shipper Review of anti-dumping duty imposed on the imports of Clear Float Glass originating in or exported from Pakistan, Saudi Arabia and UAE requested by M/s. Tariq Glass Industries Ltd., Pakistan (exporter) under Rule 22 of the Anti Dumping Rules-reg.

No. 15/16/2015-DGAD:–M/s. Tariq Glass Industries Ltd., Pakistan ("Applicant Exporter") has filed an application in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (herein after referred as "Anti-Dumping Rules") before the Designated Authority requesting for a review of the anti-dumping duty levied on the exports of Clear Float Glass of nominal thicknesses ranging from 4mm to 12mm (both inclusive), the nominal thickness being as per BIS 14900: 2000 (hereinafter referred to as subject goods or the product under consideration{PUC}) originating in or exported from Pakistan, Saudi Arabia and UAE (hereinafter referred to as the subject countries).

2. The Designated Authority vide final findings notification no. 14/25/2012-DGAD dated 10th October, 2014 recommended imposition of anti-dumping duty on the subject goods for all exporters/producers from Pakistan, Saudi Arabia and UAE at the rates prescribed in the said findings.

3. The Central Government has notified the anti-dumping duty on subject goods originating in or exported from the subject countries vide Customs Notification No. 48/2014- Customs (ADD) dated 11th December, 2014, falling under Chapter 70 of Customs Tariff Act.

Product Under Consideration

4. The present investigation relates to exports of Clear Float Glass of nominal thicknesses ranging from 4mm to 12mm (both inclusive), the nominal thickness being as per BIS 14900: 2000. The classification at the 8-digit level is 70051090 even though the same are being classified and imported under various sub-headings like 7003, 7004, 7005, 7009, 7013, 7015, 7016, 7018, 7019 and 7020. The customs classification is indicative only and in no way, it is binding upon the scope of the product under consideration under the investigation.

Exporter Involved:

5. M/s. Tariq Glass Industries Ltd., Pakistan.

Initiation of New Shipper Review in respect of New Exporter:

6. The Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and the Rules made there under require the Authority to review for the purpose of determining individual margin of dumping for any exporter or producer in the exporting country in question who has not exported the subject goods to India during the period of investigation of the earlier case of anti-dumping investigation concerning imports of Clear Float Glass of nominal thicknesses ranging from 4mm to 12mm (both inclusive), the nominal thickness being as per BIS 14900: 2000, and the applicant is not related to any of the exporters and producers in the exporting countries who are subjected to anti-dumping duty.

7. The Authority having been prima facie satisfied that the Applicant Exporter meets with the conditions as prescribed under Rule 22 of Anti-Dumping Rules, decides to review the anti-dumping duty imposed by the Central Government in pursuance of the recommendations made by the Authority vide Final Findings Notification No. 14/25/2012-DGAD dated 10th October 2014 and having regard to Customs Notification No. 48/2014- Customs (ADD) dated 11th December 2014 as requested by M/s. Tariq Glass Industries Ltd., Pakistan

8. Having decided to initiate New Shipper Review of the final findings notified vide Notification No. 14/25/2012-DGAD dated 10th October, 2014 with regard to import of Clear Float Glass of nominal

thicknesses ranging from 4mm to 12mm (both inclusive), the Authority hereby initiates New Shipper Review investigation to determine separate dumping margin in respect of Clear Float Glass of nominal thicknesses ranging from 4mm to 12mm (both inclusive) in accordance with the Rules Supra.

9. The Authority recommends provisional assessment on all exports of Clear Float Glass of nominal thicknesses ranging from 4mm to 12mm (both inclusive), the nominal thickness being as per BIS 14900: 2000, made by M/s. Tariq Glass Industries Ltd., Pakistan, of the subject goods to India, till this review is completed, in accordance with the Rule 22 of the Anti Dumping Rules and having regard to the Customs Notification No. 48/2014- Customs (ADD) dated 11th December 2014.

Period of Investigation:

10. The period of investigation for the purpose of the present review is 1st July, 2015 to 31st March, 2016.

Submission of information

11. The Government of the subject country through its Embassy in India and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time limit set out below. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time limit set out below. The information/submissions may be submitted to:

The Designated Authority,

Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,

Ministry of Commerce & Industry,

Department of Commerce

4th Floor, Jeevan Tara Building

5, Parliament Street, New Delhi – 110001

12. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

\Time Limit

13. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 days) from the date of the completion of the Period of Investigation. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.

Submission of information on confidential basis

14. The parties making any submission (including Appendices/Annexure attached thereto), before the authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:-

(a) one set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and

(b) the other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).

15. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies, in five (5) sets of each.

16. The confidential version shall contain all information which are by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons,

the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information can not be disclosed.

17. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

18. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

19. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

20. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

21. In terms of Rule 6(7) of the AD Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

22. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

A. K. BHALLA, Designated Authority

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.